

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ जिला चूरु (राज.)

शेर सिंह भाटी बनाम डालचंद आदि

किस्म - राजस्व प्रा.पत्र

GCMS No.- 2023/ 91

मुकदमा नं - 53/2023


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक
20.06.2023	वकील वादी द्वारा दावा पेश किया गया। सरिस्ता से रिपोर्ट हो चुकी है। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 27.07.2023 को पेश हो।	
27/7/23	पी० और साहब पुनाव प्रशिक्षण में जयपुर पवारे हुए हैं पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 13/09/23 को पेश हो।	
13.9.23	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 03/11/2023 को पेश हो।	
03/11/23	पी० और साहब पुनाव कार्म में व्यस्त हैं प्रतिवादी संख्या 01 की और से पूर्व में बखानर नामा मम 970 पत्र आदेश 9 नियम 2 व 5 सीपीडी पेश हुआ। पत्रावली वास्ते आर्डर-डा कार्रवाई दिनांक 18/01/2024 को पेश हो।	
18/01/24	पत्रावली पेश। 970 पत्र 09 R 2025 सीपीडी शांति मिल रही पत्रावली वास्ते जवाब पत्रावली - पत्र दिनांक 01/03/2024 को पेश हो।	

तारीख
हुकम

हुकम की कार्यवाही मय इनिशियलस जज

20 $\frac{02}{24}$

वादी स्थिति। वादी ने एड आर्पना-पर मिश्रण पेवी
में लेने काब्र पेश किया जिस पर मिश्रण आज ही पेवी
में ली गई। साथ ही एड आर्पना-पर सुकदमा किद्रा
करने हेतु पेश किया जिस पर वादी से सुन
गया। बाद सुनवाई सुताबिउ आर्पना-पर वाद
किद्रोल के आधार पर वाद इधी स्टेज पर खारीज
किया जाता है। पठावली कैसल सुभार हेर
दाखिल दफ्तर है।


उप खण्ड अधिकारी
सुजानमद